



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007 ई०

अग्रहायण 09, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1200/XXXVI(4)/2007

देहरादून, 30 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर दिनांक 28 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2007 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) अधिनियम, 2007

(अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2007)

31 मार्च, 2008 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित-

1. यह अधिनियम उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2007 कहलायेगा।

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2007-
2008 के लिए
रु0 8789391000
का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रुपये 8789391000 (रुपये आठ सौ अठहत्तर करोड़ तिरानवे लाख इक्यानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
01	विधान सभा	राजस्व	5815	5815
		पूँजी		
03	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	3720	3720
		पूँजी		
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	6198	6198
		पूँजी		
05	निर्वाचन	राजस्व	13500	13500
		पूँजी		
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	41675	41675
		पूँजी	75240	75240
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय	राजस्व	971816	971816
	तथा अन्य सेवायें	पूँजी	134000	134000
08	आबकारी	राजस्व	2000	2000
		पूँजी		
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	73700	73700
		पूँजी	80000	80000
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण	राजस्व	985606	985606
	तथा संस्कृति	पूँजी	519902	519902
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	248925	248925
		पूँजी	686392	686392
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	200917	200917
		पूँजी		
14	सूचना	राजस्व	30000	30000
		पूँजी		
15	कल्याण योजनायें	राजस्व	59885	59885
		पूँजी	2500	2500
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	142705	142705
		पूँजी	720177	720177
18	सहकारिता	राजस्व	34100	34100
		पूँजी	133600	133600

1	2	3		
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	138381	138381
		पूँजी	159002	159002
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	62286	62286
		पूँजी	631850	631850
21	ऊर्जा	राजस्व	26089	26089
		पूँजी	19999	19999
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	24300	24300
		पूँजी	663262	663262
23	उद्योग	राजस्व	23227	23227
		पूँजी	10055	10055
24	परिवहन	राजस्व	17001	17001
		पूँजी	285000	285000
25	खाद्य	राजस्व	33326	33326
		पूँजी		
26	पर्यटन	राजस्व	22401	22401
		पूँजी	90000	90000
27	वन	राजस्व	329900	329900
		पूँजी	56400	56400
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	144669	144669
		पूँजी	21250	21250
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	120546	120546
		पूँजी	60000	60000
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	237985	237985
		पूँजी	225793	225793
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	110396	110396
		पूँजी	103900	103900
	योग	राजस्व	4111069	4111069
		पूँजी	4678322	4678322
	महायोग		8789391	8789391

आज्ञा से,
श्रीमति इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand Appropriation (Supplementary 2007-2008) Bill, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 07 of 2007).

No. 1200/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, November 30, 2007

NOTIFICATION
Miscellaneous

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28th November, 2007.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION
(SUPPLEMENTARY 2007-2008) ACT, 2007
(Act No. 07 of 2007)

To authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty first day of March, 2008.

AN
ACT

It is HEREBY enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly—

Short Title

1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation (Supplementary 2007-2008) Act, 2007.

Issue of Rs.
8789391000
out of the
Consolidated
Fund of
Uttarakhand
for
the year
2007-2008

Appropriation

2. From and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule, amounting in the aggregate to the sums of Rs. 8789391000 (Rs. Eight hundred Seventy Eight Crore Ninty Three Lakh Ninty One thousand only) towards defraying the several charges, which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2008 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2008.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousand)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3		
01	Legislature	Revenue	5815	5815
		Capital		
03	Council of Ministers	Revenue	3720	3720
		Capital		
04	Judicial Administration	Revenue	6198	6198
		Capital		
05	Election	Revenue	13500	13500
		Capital		
06	Revenue & General Administration	Revenue	41675	41675
		Capital	75240	75240
07	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue	971816	971816
		Capital	134000	134000
08	Excise	Revenue	2000	2000
		Capital		
10	Police & Jail	Revenue	73700	73700
		Capital	80000	80000
11	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue	985606	985606
		Capital	519902	519902
12	Medical, Health & Family Welfare	Revenue	248925	248925
		Capital	686392	686392
13	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue	200917	200917
		Capital		
14	Information	Revenue	30000	30000
		Capital		
15	Welfare	Revenue	59885	59885
		Capital	2500	2500
17	Agriculture Works & Research	Revenue	142705	142705
		Capital	720177	720177
18	Co-operative	Revenue	34100	34100
		Capital	133600	133600
19	Rural Development	Revenue	138381	138381
		Capital	159002	159002
20	Irrigation & Flood	Revenue	62286	62286
		Capital	631850	631850
21	Energy	Revenue	26089	26089
		Capital	19999	19999

1	2	3	
22	Public Work	Revenue 24300	24300
		Capital 663262	663262
23	Industries	Revenue 23227	23227
		Capital 10055	10055
24	Transport	Revenue 17001	17001
		Capital 285000	285000
25	Food	Revenue 33326	33326
		Capital	
26	Tourism	Revenue 22401	22401
		Capital 90000	90000
27	Forest	Revenue 329900	329900
		Capital 56400	56400
28	Animal Husbandry	Revenue 144669	144669
		Capital 21250	21250
29	Horticulture Development	Revenue 120546	120546
		Capital 60000	60000
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue 237985	237985
		Capital 225793	225793
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue 110396	110396
		Capital 103900	103900
Total		Revenue 4111069	4111069
		Capital 4678322	4678322
Grand Total		8789391	8789391

By Order,
Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.